रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 1992/भाद्र 16, 1914
No. 36] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 1992/BHADRA 16, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी मर्यादित

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1992

एस.सी.आई सी.आई/धारा 10.—यतः भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी मर्यादित (जिसे इसके बाद एस सी.आई.सी.आई. कहा गया है) नौवहन विकास निधि समिति (उत्पादन) अधिनियम, 1986 (जिसे इसके बाद "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 16 के अंतर्गत "अभिहित व्यक्ति" है।

और यतः सिविया स्टीम नेविगेशन कम्पनी मर्यादित (जिसे इसके बाद "उक्त कम्पनी" कहा गया है) जो कम्पनी, अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक सार्वजनिक मर्यादित कम्पनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय

सिंदिया भवन, नरोत्तम मोरारजी मार्ग, बालार्ड इस्टेट, मुम्बई-400038, है का निदेशक बोर्ड एस.सी.आई.सी.आई द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत नियुक्त किये गये निदेशकों से संघटित है ।

और यतः राजपत्र अधिसूचना क्रमांक डी.एल. 33008/92 दिनांक अप्रैल 30, 1992 द्वारा श्री आर. सुन्दररामन को उक्त कम्पनी के बोर्ड पर नियुक्त किया गया है ।

और यतः उक्त राजपत्र अधिसूचना में श्री आर. सुन्दररामन का नाम गलती से आर सुन्दरम लिखा गया है ।

अतः अब इस परिवर्तन को वास्तविक रूप देने के लिए तथा उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबन्धों के अनुकरण में तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत रिसीवर को नियुक्ती पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एतद्द्वारा यह आदेश किया जाता है और घोषणा की जाती है कि :

(1) श्री आर. सुंदररामन का नाम, जैसा कि उक्त राजपत्र अधिसूचना में छापा गया है (गलती से आर. सुंदरम छप गया है) आर सुंदररामन जैसा पढ़ा जाना चाहिए ।

(2) श्री आर. सुंदररामन जुलाई 28, 1992 के बाद उक्त कम्पनी के निदेशक माने जायेंगे ।

यह आदेश राजपत्र में अधिसूचित होने ही तत्काल प्रभावी हो जायेगा ।

के आदेश से,

भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी, मर्यादित [नौवहन विकास निधि समिति (उत्पादन) अधिनियम, 1986 (संशोधित) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के अभिहित व्यक्ति के रूप में]

आई .एम शाह, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

THE SHIPPING CREDIT AND INVESTMENT COMPANY OF INDIA LIMITED

ORDER

New Delhi, the 24th August, 1992

SCICI|SEC 10.—Whereas The Shipping Credit and Investment Company of India Limited (hereinafter "the SCICI") is the "designated person" within the meaning of Section 16 of the SDFC (Abolition) Act, 1986 (hereinafter "the said Act").

And whereas the Board of Directors (hereinafter "the said Board") of THE SCINDIA STEAM NAVIGATION COMPANY LIMITED (hereinafter "the said Company"), a public company within the meaning of the Companies Act, 1956 and having its registered office at Scindia House, Narottam Morarjee Marg, Ballard Estate, Bombay-400038 is constituted of Directors who have been appointed by the SCICI in terms of Section 10 of the said Act.

And whereas, a Gazette Notification Regd. No. D.L.-33004 92 was issued on April 30, 1992 appointing Shri R. Sundararaman on the Board of the said company;

And whereas the name of Shri R. Sundararaman was wrongly spelt as R. Sundaram in the aforesaid Gazette Notifiction;

Now therefore in order to give effect to the aforesaid change and in pursuance of the provisions of Section 10 of the said Act, and without prejudice to the appointment of a Receiver under Section 9 of the said Act, it is hereby ordered and declared that;

(i) The name of Shri R. Sundaraman as published in the aforesaid Gazette Publication (wrongly spelt as R. Sundaram) should be read as R. Sundararaman; and

(ii) Shri R. Sundaraman will be a director on the said company with effect from July 24, 1992.

This order shall come into force immediately upon it being notified in the Official Gazette.

Dated at Bombay 24th day of August, 1992.

By Order,

for the Shipping Credit & Investment Company of India Ltd.
[As designated person of the Central Government under the SDFC (Abolition) Act, 1986]

Y. S. SHAH, Authorised Signatory

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992